सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.09.2022

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त- हनुमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान व जामातलाशी से 1800 रूपये बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 10/11.08.2022 की रात्रि कोल्हमपुर बाजार स्थित राम शंकर सोनी की दुकान में सेंध लगाकर घर के अंदर चोरी किया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हनुमान पुत्र झग्गर कोरी नि0 ग्राम बैजलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0-320/22, धारा 457,380,411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद बोरी बर्तन।
02. 02 अदद छोटी पोटली सफेद कपड़े।
03. 1800 रू0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 महेंद्र प्रताप सिंह मय टीम।

ljkguh; dk;Z
izsl uksV
ehfM;k lsy] tuin xks.Mk
fnukad 12-09-2022

Fkkuk mejhcsxexat {ks= ds vUrxZr gqbZ gR;k dh ?kVuk dk [kqykl k] 01 vfHk;qDr fxj¶rkj] vkykdRYk o ?kVuk esa iz;qDr 01 vnn gks.Mk flVh dkj cjken&

दिनांक 06/07.09.2022 की रात्रि थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत डिक्सिर में दो चचेरे भाईयों के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड से वार कर चोटे पहुँचायी गयी थी। जिसमें बृजेश की मृत्यु हो गयी थी और कृष्णभान को गम्भीर चोटे आयी थी। वादी रामभान सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह नि0 डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा डॉग स्क्वायड व फारेंसिक टीम के साथ मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित कर थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज व प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सुरागरसी–पतारसी कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त रोहिताश उर्फ रोहित को अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आलाकत्ल लोहे की रॉड व घटना में प्रयुक्त 01 अदद होण्डा सिटी कार बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसकी शादी डिक्सिर निवासी सुरेश सिंह की पुत्री से हुई थी। कुछ दिन पूर्व मेरे ससुर व मृतक के परिजनों के बीच आवादी की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें विपक्षियों ने मेरे ससुलालजनों को काफी भला–बुरा कहां था। इसी बात से झुब्ध होकर मैने इस घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qDr&

01. रोहिताश उर्फ रोहित पुत्र श्री हुकुम सिंह नि0 फुसावली थाना बरला जनपद अलीगढ।

iathd`r vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–195/22, धारा 302,307 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 01 अदद लोहे की रॉड (आलाकत्ल)
02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद होण्डा सिटी कार।

fxj¶rkj drkZ Vhe&

01. थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज मुकेश पाण्डेय मय टीम।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 अमित कुमार मय टीम।
03. प्रभारी सर्विलांस सेल आलोक राय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.09.2022

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद इंजन मय पंखा व परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. शमशेर यादव, 02. रातरानी देवी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान व परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 09.09.2022 की रात्रि वीरेन्द्र कुमार पुत्र जंगली निषाद नि0 ग्राम पार्वती थाना नवाबगंज जनपद के खेत से पानी का इंजन मय पंखा के चोरी किया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शमशेर यादव पुत्र रामजगन यादव निवासी ग्राम पुरे अर्जन मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।
02. रातरानी देवी पत्नी कुलदीप यादव निवासी ग्राम गुरुशरन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0-366/22, धारा 379,411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद इंजन मय पंखा।
02. परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 पवन कुमार गिरि मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 12.09.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, 09 अभियुक्त गिरफ्तार, 100 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामदः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना कटरा बाजार पुलिस ने थाना क्षेत्रों मे दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 06 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे 60 लीटर अवैध कच्ची शराब, 800 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम नौशादर, थाना कौड़िया पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।